ORDER SHEET

THE COURT ________________________________ of 2026

Date of order of proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
26-03-2026	प्रकरण सी.आई.एस. से विधिवत् पंजीबद्ध होकर प्राप्त। आवेदक सुनील सहित श्री अरूण त्रिपाठी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदन—पत्र परिपक्वता अवधि पूर्व एफडीआर की राशि प्रदान किये जाने बावत् आवेदक के स्वयं के शपथपत्र के साथ आधार कार्ड, मेडिकल बिल एवं एफ.डी.आर.की छायाप्रति प्रस्तुत की। क्लेम प्रकरण क्रमांक—4167/2019, सुनील वि0 राजेश व अन्य निराकृत दिनांक—10.10.2025 का मूल अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत। उक्त आवेदन—पत्र के संबंध में आवेदक सुनील सचदेव के कथन अभिलिखित किये गये। आवेदक की ओर से सावधि जमा खाते में जमा राशि का नगद भुगतान किये जाने संबंधी आवेदन—पत्र पर सुना गया। आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि उक्त क्लेम प्रकरण में न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.10.2025 को आवेदक के पक्ष में अवार्ड पारित किया गया था। उक्त अवार्ड राशि में से आवेदक सुनील सचदेव के पक्ष में एक एफ.डी.आर. 4,55,733/—रूपये की बैंक ऑफ इंडिया, शाखा देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर की 03 वर्ष की बनायी गयी थी। आवेदक के द्वारा पूर्व में आयी चोटों के ईलाज हेतु लोगों से पैसा उधार लिया गया था, जिसे वह चुकाना चाहता है। आवेदक के पास उक्त एफ.डी.आर. के अतिरिक्त अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है, जिससे वह लोगों का कर्ज चुका सके और अपना ईलाज करा सके।। वह अन्य किसी व्यक्ति से कर्ज नहीं लेना चाहता है और उक्त एफ.डी. आर. की राशि का उपयोग करना चाहता है। अतः आवेदक द्वारा एफ. डी.आर. की राशि 4,55,733/—रूपये का समय पूर्व नगद भुगतान उसके पक्ष किये में जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन—पत्र के संबंध में क्लेम प्रकरण क्रमांक—4167/2019, सुनील वि0 राजेश व अन्य निराकृत दिनांक—10.10.2025 का अवलोकन किया गया। उक्त रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त क्लेम प्रकरण में दिनांक 10.10.2025 को अधिनिर्णय पारित किया गया है, जिसके तारतम्य में आवेदक के पक्ष में 11,81,000/—रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मय 6प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अवॉर्ड पारित किया गया है, जिसमें से आवेदक को 70 प्रतिशत राशि उसके बचत खाते के माध्यम से नगद एवं शेष 30 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा खाते में जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश के पालन में बैंक ऑफ इंडिया शाखा देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर में आवेदक सुनील सचदेव पिता कन्हैयालाल सचदेव के सावधि जमा खाता क्रमांक—880553710004669 में राशि 4,55,733/—रूपये 03वर्ष की अवधि के लिए जमा की गई है। आवेदक द्वारा उक्त तथाकथित आवेदन में स्वयं के ईलाज एवं	

उधार लिये गये राशि को चुकाने हेतु उक्त एफ.डी.आर. राशि की समय पूर्व आवश्यकता होना बताया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र ग्राम मेडिकल बिल व डिस्चार्ज कार्ड की छायाप्रति, स्वयं का आधार कार्ड एवं एफ.डी.आर. की छायाप्रति से समर्थित है, जिसमें आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में आवेदक सुनील सचदेव के कथन अंकित किये गये हैं, ऐसी दशा में उक्त कारण जो बताया गया है वह सद्‌भाविक प्रतीत होता है, और उस पर अविश्वास का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन–पत्र को स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर में आवेदक सुनील सचदेव के खाता क्रमांक 880553710004669 राशि 4,55,733/–रूपये को समय पूर्व तोड़कर उस पर अब तक अर्जित ब्याज सहित राशि आवेदक को समय पूर्व भुगतान करे।

इस आदेश की एक प्रति मूल क्लेम प्रकरण क्रमांक–4167/2019, सुनील वि0 राजेश व अन्य निराकृत दिनांक–10.10.2025 में संलग्न की जाकर मूल प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में लेखबद्व कर संपूर्ण संपूर्ति उपरांत नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(हेमन्त कुमार रघुवंशी)
सदस्य
28वें मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण
जिला– इंदौर

HEMANT KUMAR RAGHUVANSHI

Digitally signed by HEMANT KUMAR RAGHUVANSHI
Date: 2026.03.26 16:43:18 +0530